न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 6/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/79

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. केसरदेवी पत्नि प्रकाश चन्द्र जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर 2. सायरकंवर पत्नि गोपाल सिंह राणावत निवासी केमुनिया तहसील रायपुर		1. प्रकाशचन्द्र पिता रामस्वरूप मुन्दड़ा (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर 2. नारायणलाल पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर 3. लक्ष्मण पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर 4. सोहनलाल पिता रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील रायपुर 5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश चन्द टेलर, जाकिर हुसैन रंगरेज, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक 12/2/2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2245/409 रकबा 0.25 है0 भूमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 690 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में विभाजन होकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है।

02. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण एवं इनके पूर्व खातेदार जो एक परिवार के होकर संयुक्त रूप से खातेदार थे जिसका विभाजन होकर प्रार्थीगण ने आराजी संख्या 2245/409 कय की उक्त आराजी संख्या 2245/409 में सदेव से आवागमन पैदल, संज बैल, ट्रेक्टर आदि से आराजी संख्या 1528 गै.मु. सड़क से होते हुए विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2044/1527 से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की सामलाती आराजी संख्या 2337/1297 की उत्तरी पाली से होते हुए आगे मूल आराजी संख्या 409 में जिस सामलाती रूप से रास्ते के उपयोग हेतु पूर्व खातेदारो द्वारा छोड़ी गई भूमि जिसके वटा नम्बर 2246/409 विभाजन के दौरान कायम हुए मे से होकर चेल आ रहे है पूर्व खातेदार भी इसी रास्ते से होकर आवगगन करते रहे जिसे अरसा करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय हो गया है पूर्व खातेदारान रो भूगिया प्रार्थीगण ने कय की है एवं इसी रास्ते का उपयोग वर्तमान में कर रहे है लेकिन मौके पर विपक्षी संख्या 1 की भूमि त्रिभुजाकार स्थिति में होकर रोड़ से सटमा भूमि रास्ते के उपयोग के लिए छोड़ी गई भूमि में पत्थर डाल चुनवा दिये है तथा अपनी खातेदारी होने से प्रार्थीगण के आवागमन अवरूद्व कर दिया है।

सहायक कलक्टर

03. अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम विपक्षीगण की आराजी संख्या 2044/1527 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2337/1297 रकबा 0.18 है0 की उत्तरी पाली पर 30 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये जाने एवं नियमानुसार डी. एल.सी दर की अदायगी कराने एवं उक्त रास्ते की भूमि को गे.मु. रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये जाने एवं दर्ज रास्ते को मौके पर खुलासा करवाये जाने का तहसीलदार रायपुर के नाम आदेश फरमाया जावे।

04. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता हरिश चन्द टेलर द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 15.02.2025 को जवाब बन्द किया गया एवं दिनांक 19.01.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 3, 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 08.05.2024 को की गई एवं विपक्षी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

05. विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अकंन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है तथा इनके द्वारा एक साल पहले ही भूमि कय की गई है। आराजियात में रास्ता ग्राम केमुनिया के पूर्व खातेदारो की शेष भूमि से होकर आता है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1528 से विपक्षी संख्या 1 की आराजी में होकर नही जाता है तथा न ही उक्त आराजी के पूर्व खातेदारान पे भी विपक्षी की आराजी से आवागमन किया है। ग्राम केमुनिया से आवागमन पूर्व में भी किया जाता रहा है। पूर्व खातेदारान की आराजियात में 2246, 2251/191, 2257/410, 2259/411, 454 रास्ते के रूप में छुटी हुई है। प्रार्थीगण जानबुझ कर विपक्षी की आराजियात में रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। विपक्षी की आराजी पर चारो तरफ पत्थर चुने हुए है। प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से रास्ता कायम कराना चाहते है जो गलत होकर अस्वीकार है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाए। प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 2246/409 को गलत तरीके से रास्ते के रूप में दर्ज करवा दिया है। विपक्षी की आराजी में पत्थर की दीवार कई वर्षो से वनी हुई है। अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत झुठे एवं मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने से कतई स्वीकार योग्य नही किया जा सकता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

06. तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/2025/85 दिनांक 10.11.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. आराजी संख्या 2245/409 रकबा 0.25 है0 भूमि पर वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में बना हुआ नही है।

ii. मौके पर उक्त आराजी में आवागमन बन्द है। कच्चे पत्थर की दीवार बना रखी है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

iii. प्रार्थीगण रायपुर से गंगापुर जाने वाली मुख्य सड़क से विपक्षीगण की आराजी संख्या 2044/1527 रकबा 0.10 है0 व आराजी संख्या 2337/1297 रकबा 0.18 है0 मे रास्ता दर्ज कराना चाहते है जिसमें से आराजी आराजी संख्या 2246/409 रकबा 0.02 है0 किस्म गे.मु. रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2245/409 के पूर्वी मेड़ से रास्ता चाहते है।

iv. आराजी संख्या 2245/409 में पूर्व में आवागमन विपक्षीगण की आराजी संख्या 2044/1527 और आराजी संख्या 2337/1297 की बीच की मेड़ के पास–पास करते थे परन्तु वर्तमान में बन्द है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

v. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी संख्या 2337/1297 रकबा 0.18 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0070 है0 भूमि विपक्षीगण नारायणलाल पुत्र रामचन्द्र कुम्हार, लच्छमण पुत्र रामचन्द्र कुम्हार, सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तथा आराजी संख्या 2044/1527 रकबा 0.10 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0363 है0 भूमि प्रकाशचन्द्र पुत्र रामस्वरूप महाजन निवासी रायपुर की आती है कुल रकबा 0.0433 है0 भूमि प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि डीएलसी दर 850000/–प्रति हैक्टयर है।

vi. प्रार्थीगण के आराजी तथा विपक्षीगण के आराजी के बीच अन्य खातेदारी आराजी संख्या 2246/409 रकबा 0.02 है0 किस्म गै.मु.रास्ता आता है जिसमें मौके पर रास्ता खुला हुआ है।

vii. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता लाल स्याही से दर्शाया गया है।

viii. रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई पेड़ या निर्माण नही होकर पड़त है।

07. पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में अंकन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजी संख्या 2245/409 में आवागमन हेतु रास्ता जिसका उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करने हेतु एवं चाहे गये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2244/1527, 2337/1297 की उत्तरी मेड़ से रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी दर की अदायगी कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण की आराजी में पहुॅच के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं राजस्व रेकार्ड में बना हुआ नही है। मौके पर प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन बन्द है। उक्त आराजी संख्या में पूर्व में आवागमन आराजी संख्या 2044/1527, आराजी संख्या 2337/1297 की बीच की मेड़ के पास–पास करते थे परन्तु वर्तमान में बन्द है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता लघुतम होकर प्रार्थीगण को आत्यांतिक आवश्यकता का है जो मुख्य सड़क रायपुर से गंगापुर से लगता हुआ है। सड़क की आराजी संख्या 1528 में निकली हुई है। विपक्षी संख्या 1 की आराजी 2309/405 व 2065/1527 भी मुख्य सड़क से लगती हुई होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2245/409 के उत्तरी ओर स्थित है। मुख्य सड़क से लगती हुई है। सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन करने से जाहिर है प्रार्थीगण के पास वर्तमान में आवागमन का कोई अन्य मार्ग नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को नियमानुसार डी.एल.सी. दर की अदायगी विपक्षीगण को करवाई जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ते के रूप में करवाई जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

08. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण उक्त आराजी का खरीददार है। प्रार्थीगण केमुनिया निवासी है। आस–पास की भूमि विक्रेतागण की है। प्रार्थीगण ने भूमि 1 वर्ष पहले खरीदी है तथा उसमें 30 फीट का रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के व्यवसायिक उपयोग के लिए रास्ता चाहते है। विक्रेतागण ने अपनी कृषि आराजियात के विभाजन के दौरान रास्ते छोड़ रखे है जिनमें से ही प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजियात का क्रय प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। प्रार्थीगण एवं अन्य सभी खातदारो के शामलाती रास्ते से आवागमन होता है। प्रार्थीगण ने केवल सुविधा हेतु विपक्षी की आराजी से रास्ता चाहा है। विपक्षी की आराजी मात्र 0.10 है0 भूमि है जिसमें से 30 फीट का रास्ता दिया जाता है तो शेष बची भूमि काश्त करने के लायक नही रहेगी। अन्य विक्रेतागण इसी रास्ते से आवागमन करते है लेकिन उन्होने आवेदन नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

09. प्रार्थी अधिवक्ता की द्वारा विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रत्युत्तर मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजियात के व्यवसायिक उपयोग का कोई अंकन नही है। जो आराजी रास्ते के रूप में छुटी हुई है व प्रार्थीगण के निकट नही होकर दूर अवस्थित है। मौका रिपोर्ट में मौके पर रास्ता न होना बताया गया है। पत्थर की दीवार होना अंकित है। धारा 251ए में वैकल्पिक रास्ता के सन्दर्भ में मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता न होना अंकित किया गया है। विपक्षी संख्या 2 व 3 को रास्ता देने में कोई ऐतराज नही है। विपक्षी संख्या 1 की भूमि में सड़क के नजदीक के हिस्से से रास्ता चाहा गया है ताकि विपक्षी का खेत के टुकड़े नही हो। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

10. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)रायपुर

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

11. न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि आराजी संख्या 2245/409 में आवागमन हेंतु मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आराजी संख्या 2245/409 में पूर्व में आवागमन विपक्षीगण की आराजी संख्या 2044/1527 और आराजी संख्या 2337/1297 की बीच की मेड़ के पास–पास करते थे परन्तु वर्तमान में बन्द है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान में आवागमन नही किया जा रहा है जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। मौका रिपोर्ट के अंकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा पहले भी विपक्षीगण की आराजियात आराजी संख्या 2044/1527 और आराजी संख्या 2337/1297 की बीच की मेड़ के पास–पास करते थे जो कि वर्तमान में बन्द है तथा यह वर्तमान में चाहे गए रास्ते से लम्बा है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः चाहा गया रास्ता आंत्यातिक आवश्यकता का एवं लघुतम है। विप्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता आराजी संख्या 2337/1297 रकबा 0.18 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0070 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 2044/1527 रकबा 0.10 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0363 है0 भूमि कुल रकबा 0.0433 है0 बनता हैं। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

12. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक ा अनुसार प्रस्तावित रास्ता 30 फीट चौड़ाई का कुल रकबा 0.0433 है0 है। प्रार्थीगण को अपनी कृशि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आव यता है। प्रार्थीगण को आवागमन के लिए 30 फीट चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थीगण की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 9 मीटर चौड़ाई का कुल रकबा 0.0433 है भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर –850000/–रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 73610/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीगण राजकोश के निर्धारित भीर्श में जमा करवाने हेतु सहमत है, न्यायालय द्वारा जारी स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण से निर्णय दिनांक से अप्राभी रहेगा। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोश अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान का तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है, तथा ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर के आराजी संख्या 2245/409 रकबा 0.25 है0 भूमि में पहुंच हेतु आराजी संख्या 2337/1297 रकबा 0.18 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0070 है0 भूमि तथा आराजी संख्या 2044/1527 रकबा 0.10 है0 मे से 9 मीटर चौड़ा रास्ता रकबा 0.0363 है0 भूमि कुल रकबा 0.0433 है0, भूमि संलग्न नक ानुसार 30 फीट चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 73610/–(अक्षरे तिहत्तर हजार छः सौ दस) रूपयें की राशि विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे। मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या रो एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला–भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12/2/2026 को सार–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा